



केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन  
Central Government Employees  
Welfare Housing Organisation  
(Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation, Govt. of India)

छठा तल, ए खण्ड, जनपथ भवन,  
जनपथ, नई दिल्ली-110001  
दूरभाष : 23739722 / 23717249 / 23355408  
फैक्स : 23717250

6th floor, 'A' Wing, Janpath Bhawan,  
Janpath, New Delhi-110001  
Phones : 23739722 / 23717249 / 23355408  
Fax : 23717250  
E-mail : cgewho@nic.in

ए-111/3

तीव्र डाक

दिनांक : 10.01.2017

सेवा में,

मोहाली (द्वितीय चरण) आवासीय योजना के सभी लाभानुभोगी।

विषय : मोहाली (द्वितीय चरण) आवासीय योजना में कब्जे का प्रस्ताव के बाबत।

प्रिय लाभानुभोगी,

कृपया सीजीईडब्ल्यूएचओ के समसंख्यक पत्र दिनांक 7 सितम्बर 2016 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा सभी लाभानुभोगियों को विशिष्ट फ्लैट/तल, कार पार्किंग सहित (अगर आवेदन किया है) के बारे में सूचित किया गया था। एक ज़ा कमेटी के द्वारा दिनांक 30 और 31 जुलाई 2016 को परियोजना स्थल पर सभी लाभानुभोगियों की उपस्थिति में ज़ा हुआ, जिसके लिए उन्हें निमंत्रण-सह-सूचना पत्र भेजा गया था। ज़ा का परिणाम सीजीईडब्ल्यूएचओ की वेबसाइट [www.cgewho.in](http://www.cgewho.in) पर प्रकाशित हुआ था और जिसे सभी लाभानुभोगियों को पत्र द्वारा भी अवगत कराया गया था।

2(क). हमें आपको सूचित करते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि सीजीईडब्ल्यूएचओ ने कार्य पूर्ण करने के पश्चात 'पूर्णता प्रमाण पत्र' हेतु आवेदन किया है, जो कि सांविधिक प्राधिकारों के लिए बहुत जरूरी है। सीजीईडब्ल्यूएचओ ने पंजाब राज्य उर्जा निगम लिमिटेड से बिजली कनेक्शन ले लिया है। परियोजना देख-रेख समिति के सदस्यों के निवेदानुसार और लाभार्थियों के सम्बन्धित विभाग/वित्तीय संस्थान से अपने ऋण की सुविधा को सरलीकरण, ऋण/अतिरिक्त निधि, अन्तिम मॉग-पत्र तथा सभी लाभानुभोगियों को कब्जे का प्रस्ताव दिया जाएगा। हॉलांकि फ्लैट का वास्तविक कब्जा दिया तभी दिया जाएगा जब सम्बन्धित सांविधिक प्राधिकृत से से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाएगा, जिसकी सूचना आपको नियत समय में दी जाएगी।

(ख). इस योजना के सभी लाभार्थियों को नियमित अन्तराल पर योजना की वास्तविक स्थिति और प्रगति से पत्रांक सं. ए-506/6 दिनांक 22.02.2012 और उसके बाद पत्रांक सं. टी-130/2 दिनांक 28.11.2013, जिसमें तकनीकी विवरणिका के साथ योजना से वापसी का प्रस्ताव, जिसमें कुल जमा राशि पर 6.5% की दर से ब्याज देय होगा, को बिना किसी वापसी प्रभार कटौती के देय राशि से अद्यतन कराया गया है।

(ग). इसके अतिरिक्त परियोजना की मासिक प्रगति रिपोर्ट और फोटोग्राफ वेबसाइट और अभिलेख (Record) में उपलब्ध लाभार्थियों के ईमेल के माध्यम के द्वारा भी नियमित अन्तराल पर सूचित किए जाते रहे हैं।

(घ). वित्तीय प्रतिशतता के परिपेक्ष्य में तीसरी से पांचवी मॉग किस्त में प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक लाभार्थी को भेजी गई, जिनके भुगतान करने की अन्तिम तिथि क्रमशः 31.01.14, 31.07.14 और 14.08.15 थी, जो कि स्ववित्त और 'न लाभ न हानि' अवधारणा पर आधारित था।

(ङ). लाभार्थियों में से चुनी गई परियोजना देखरेख समिति की बैठक दिनांक 29.11.2013, 29.04.2014, 22.11.2014, 11.04.2015, 31.08.2015, 07.04.2016 तथा 22.10.2016 को हुई, जिसमें परियोजना की प्रगति तथा सम्बन्धित विषयों पर चर्चा हुई और एमओएम को सभी लाभार्थियों की सूचना के लिए सीजीईडब्ल्यूएचओ की वेबसाइट [www.cgewho.in](http://www.cgewho.in) पर प्रदर्शित कर दिया था।

(च). परियोजना पर वास्तविक व्यय, जिसमें लेबर सेस और सर्विस टैक्स और साथ ही साथ परियोजना को बंद करने के लिए अनुमानित बकाया व्यय राशि भी शामिल है, के आधार पर सीजीईडब्ल्यूएचओ ने आवासीय इकाईयों की अन्तिम लागत तय की। आपको सूचित किया जाता है कि अन्तिम लागत तदैव है जो कि हमने अपने पत्रांक टी-130/1 दिनांक 16.01.2015 के द्वारा परियोजना देख-रेख समिति के

अग्रेसीत पृष्ठ सं.....2

